पंचायत आम निर्वाचन
अनुदेश क्रमांक– 06

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/पंचा.–06/पंग्राविवि/22/2019/393 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/09/2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– ग्राम पंचायतों का परिसीमन एवं दावें/आपत्तियों का निराकरण।

–– 00 ––

विभाग के पत्र क्रमांक/पंचा.–03/पंग्राविवि/22/2019/378, दिनांक 09.09.2019 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2019–20 संशोधित समय–सारणी अनुदेश क्रमांक 02 अनुसार दिनांक 16.09.2019 को ग्राम पंचायतों के परिसीमन हेतु प्रारंभिक प्रकाशन किया जाना नियत है। इस संबंध में आपके द्वारा आवश्यक तैयारी कर ली गई होगी।

2/ विभाग के पत्र क्रमांक/पंचा.–06/पंग्राविवि/22/2019/386 दिनांक 11.09.2019 पंचायत आम निर्वाचन अनुदेश क्रमांक 05 द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रारंभिक प्रकाशन करने के संबंध में गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिये **प्ररूप–एक** नमूने के तौर भेजा गया है। इस प्ररूप के अनुरूप गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पृथक–पृथक अधिसूचना जारी किया जाए। प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के लिये विस्तृत निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा दिये जा चुके है।

3/ प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन होने के उपरांत अधिसूचना से प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति अपने दावा/आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण कर अपने अभिमत सहित विनिश्चय हेतु संपूर्ण अभिलेख नियत समयावधि में कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।

4/ ग्राम पंचायतों के परिसीमन कार्यो में एकरूपता बनी रहे, इस उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को विनिर्दिष्ट करने के संबंध में परिसीमन हेतु प्राप्त दावें/आपत्तियों/सुझाव का निराकरण संबंधी प्रतिवेदन अनुभागवार तैयार करने के लिये **प्रपत्र–क** एवं **प्रपत्र–ख** नियत किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

5/ आपके स्तर से ग्राम पंचायतों के परिसीमन (ग्रामों का विनिर्दिष्ट) कार्य अंतिम रूप से संपन्न करने के लिये दिनांक **27.09.2019** तक की तिथि नियत की गई है। यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायतों के परिसीमन का कार्य दिनांक **28.09.2019** तक

Scanned by CamScanner

संपन्न हो जाय, ताकि ग्राम पंचायतों के वार्डो का विभाजन आपके द्वारा समय–सीमा में संपन्न हो सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का तत्परंता से पालन की जाकर की गई कार्यवाही से शासन को समयावधि में अवगत करायें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. / पंचा.–06 / पंग्राविवि / 22 / 2019 / 394 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 / 09 / 2019
प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, डी.के.एस.भवन, पुराना मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त संभागायुक्त, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त उप संचालक पंचायत, जिला कार्यालय छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner

प्रपत्र—क

ग्रामों को विनिर्दिष्ट करने के संबंध में परिसीमन हेतु प्राप्त दावें/आपत्तियों/सुझावों का निराकरण संबंधी प्रतिवेदन

अनुभाग...

विकास खण्ड का नाम	सरल क्रमांक	आपत्ति पूर्व ग्राम का क्रमांक व नाम	आपत्तिकर्ता का नाम एवं पता	आपत्ति का सारांश	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की टीका	टीका उपरांत प्रस्तावित ग्राम का क्रमांक व नाम	कलेक्टर का विनिश्चय
1	2	3	4	5	6	7	8

टीप— 1. उपरोक्त सभी आपत्तियों बाबत पत्र मूलतः इसके साथ अनुक्रमानुसार संलग्न करें।
2. पत्रक तीन प्रतियों में भेजें।

कलेक्टर

अनुविभागीय अधिकारी

जिला— ....

राजस्व..............................

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–ख

ग्रामों को विनिर्दिष्ट करने के संबंध में परिसीमन हेतु प्राप्त दावे/आपत्तियों/सुझावों का निराकरण संबंधी प्रतिवेदन

जिला ....

विकास खण्ड का नाम	प्रारंभिक प्रकाशन के समय प्रस्तावित ग्रामों की कुल संख्या	दावें/आपत्ति सुझाव के उपरांत 27.09.2019 के बाद ग्रामों की कुल संख्या (संशोधित)	प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावें/आपत्ति/सुझाव से होने वाले परिवर्तन की स्थिति				किन कारणों से ग्राम सीमा में परिवर्तन हुआ
			प्रारंभिक प्रकाशन के समय ग्राम की स्थिति		परिवर्तित स्थिति		
			ग्राम का नं. /नाम	सम्मिलित गांवों के नाम/जनसंख्या	ग्राम का नं. /नाम	सम्मिलित गांवों के नाम/जनसंख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8

टीप– 1. उपरोक्त सभी आपत्तियों बाबत पत्र मूलतः इसके साथ अनुक्रमानुसार संलग्न करें।

2. पत्रक तीन प्रतियों में भेजें।

कलेक्टर

जिला– ....

Scanned by CamScanner